राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–7) विभाग

क्रमांक प.7(1)गृह–7/2021 जयपुर, दिनांकः 07.06.2021

<u>आदेश</u>

विषय : **त्रिस्तरीय जन–अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन दिशा–निर्देश 2.0।**

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 31.05.2021 द्वारा **त्रिस्तरीय जन–अनुशासन** मॉडिफाइड **लॉकडाउन दिशा–निर्देश** जारी किये गये थे। पिछले कुछ दिनों से राज्य में कोरोना संक्रमण में और गिरावट आयी है, परन्तु **संक्रमण पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है**, अतः हमे अभी भी पूरी तरह सजग रहने एवं सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए **आगामी आदेशों** तक निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैंः–

1. संपूर्ण राज्य में प्रतिबंधित गतिविधियां **<u>परिशिष्ट–A</u>** पर संलग्न है।
2. राज्य के समस्त क्षेत्रों में अनुमत गतिविधियां **<u>परिशिष्ट–B</u>** पर संलग्न है।
3. राज्य में बाजार एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान आंशिक प्रतिबंधों के साथ निम्न शर्तों के अनुसार अनुमत होंगे। **<u>परिशिष्ट–C</u>**
   1. कोरोना संक्रमण की **पॉजिटिविटी दर 5 प्रतिशत** से कम या
   2. ऑक्सीजन समर्थित बेड/आईसीयू/वेंटीलेटर, का उपयोग(occupancy) 25 **प्रतिशत से कम या**
   3. प्रत्येक पंचायत समिति एवं नगरपालिका स्तर पर कम–से–कम 30 बिस्तरों वाला **कोविड केयर सेंटर** या
   4. **प्रत्येक कोविड पॉजिटिव व्यक्ति को संस्थागत क्वारंटीन अथवा माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन में होम क्वारंटीन में रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।**

   बाजारों एवं अन्य व्यवसायिक गतिविधियों को खोलने हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया एवं दिशा–निर्देश **<u>परिशिष्ट 'D'</u>** पर संलग्न है।
4. **शुक्रवार सायं 05:00 से सोमवार प्रातः 5:00 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा प्रतिदिन सायं 05:00 बजे से अगले दिन प्रातः 5:00 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।**
5. **इस अवधि में अनुमत श्रेणी के अलावा किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबन्धित रहेगा (Rule of Five)**

6. प्रदेश में कोरोना संक्रमण से सम्बन्धित आंकड़ो की निगरानी शहरी क्षेत्रों में वार्ड के आधार एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के आधार पर की जायेगी।

जोन	ग्राम पंचायत स्तर पर	शहरी क्षेत्रों हेतु
ग्रीन	0 कोविड एक्टिव केस	एक लाख जनसंख्या पर 25 कोविड एक्टिव केस
येलो	1–5 कोविड एक्टिव केस	एक लाख जनसंख्या पर 25–75 कोविड एक्टिव केस
रेड	5 से अधिक कोविड एक्टिव केस	एक लाख जनसंख्या पर 75 से अधिक कोविड एक्टिव केस

जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त ग्रीन जोन में अनुमत गतिविधियों (प्रातः 06:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक) के अलावा स्थिति के आंकलन के आधार पर येलो जोन एवं रेड जोन में अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकेंगे।

प्रशासनिक निर्देश :–

7. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त द्वारा **"No Mask No Movement"** की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाई जाए। जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त द्वारा माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन्स के अंदर स्थानीय आवश्यकता के अनुसार उपरोक्त प्रतिबंधों के अलावा अन्य सख्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

8. जिला प्रशासन द्वारा इंसीडेन्ट कमाण्डर्स/संयुक्त प्रवर्तन दल/वार्ड कमेटी/ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप द्वारा समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्वारंटीन नियमों के उल्लंघन एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार की निगरानी सुनिश्चित करवाई जायेगी।

9. वार्ड/गांव/शहर में त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान संभावित भीड़–भाड़ के क्षेत्रों में एन.सी.सी/एन.एस.एस /जन अनुशासन कमेटी आदि का सहयोग लिया जाकर प्रशासन, पुलिस एवं स्थानीय निकाय द्वारा माइक आदि के माध्यम से मास्क पहनने एवं अन्य कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना हेतु जन जागरूकता किया जायेगा। समस्त धार्मिक, सामाजिक, गैर सरकारी संस्थाओं और संगठनों से अपने स्तर पर Covid Appropriate Behaviour हेतु निरन्तर अपील करने हेतु सहयोग लिया जायेगा।

10. उक्त दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत व अन्य कानूनी प्रावधान जो लागू हों के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

11. यह आदेश **दिनांक 08 जून, 2021 मंगलवार प्रातः 5:00 बजे से** प्रभावी होगा।

(अभय कुमार)
प्रमुख शासन सचिव, गृह

परिशिष्ट :–

A. प्रतिबंधित गतिविधियां।
B. अनुमत गतिविधियां।
C. दुकानों / बाजारों के सम्बन्ध में।
D. कोविड उपयुक्त व्यवहार / अनुशासन (Covid Appropriate Behaviour)
E. Joint Enforcement Team (JET) / Anti Covid Teams (ACTs)
F. Door-to-Door Survey एवं Quarantine व्यवस्था
G. रोकथाम क्षेत्र (Containment Zones)
H. राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अन्तर्गत शास्ति व शमन करने की शक्तियां

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. सचिव, राज्यपाल महोदय
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा
4. विशिष्ट सहायक / निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. महानिदेशक जेल / होमगार्ड।
9. सभी विभागाध्यक्ष।
10. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
11. समस्त कलेक्टर्स।
12. पुलिस आयुक्त, जयपुर / जोधपुर।
13. महानिरीक्षक / उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
14. महाप्रबंधक, उत्तर–पश्चिम रेलवे, जयपुर, राजस्थान।
15. एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, सांगानेर, जयपुर।
16. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपायुक्त , जयपुर / जोधपुर
17. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
18. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / जिला परिवहन अधिकारी।
19. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु ।

(सुरेश गुप्ता)
शासन सचिव, गृह

–: प्रतिबंधित गतिविधियां :–

1. किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल–कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/जुलूस/त्योहारों का आयोजन/मेलों/हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी।
2. धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा नियमित पूजा–अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि जारी रहेगी, परन्तु कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण हेतु श्रद्धालुओं/दर्शनार्थियों के लिए पूरे राज्य में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। जिन स्थलों पर ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था है, वह जारी रहेगी। **पूजा–अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि घर पर रहकर ही की जावे।**
3. सिनेमा हॉल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स/ऑडिटोरियम/स्विमिंग पूल्स/जिम, मनोरंजन पार्क/पिकनिक स्पॉट/समस्त प्रकार के खेल मैदान एवं समान स्थान बंद रखे जावेंगे।
4. **पूर्णतः वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्पलेक्स/मॉल को खोलने की अनुमति नहीं होगी।**
5. कोचिंग संस्थाऐं, लाईब्रेरीज आदि बंद रहेंगे।

विवाह आयोजन के सम्बन्ध में :–

6. जिनके द्वारा दिनांक 30.06.2021 तक शादी–समारोह का आयोजन किया जा रहा है, वें इस प्रकार के कार्यक्रम को दिनांक **30.06.2021 के पश्चात् आयोजित करें ताकि कोविड संक्रमण पर रोक लगाई जा सके।**

   विवाह, घर पर ही अन्यथा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी। जिसमें 11 व्यक्ति अनुमत होंगे, जिनकी सूचना http://covidinfo.rajasthan.gov.in → e-Intimation:MARRIAGE पोर्टल या 181 पर देनी होगी।

   विवाह से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात–निकासी, प्रीतिभोज इत्यादि की दिनांक 30.06.2021 तक अनुमति नहीं होगी।

   विवाह में बैण्ड–बाजा, हलवाई, टैन्ट व इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी।

   मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल्स एवं हॉटल परिसर **शादी–समारोह हेतु** अनुमत नहीं होगा।

परिशिष्ट 'B'

—: अनुमत गतिविधियां :—

कार्यालयों के सम्बन्ध में :—

1. प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ प्रातः 9:30 बजे से सायं 4:00 बजे तक अनुमत होंगे।
2. प्रदेश के समस्त निजी कार्यालय कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ सायं 04:00 बजे तक खोले जावे।
3. प्रदेश के समस्त सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थान कार्मिकों की क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ अनुमत होंगे, परन्तु विद्यार्थियों को शैक्षणिक गतिविधियों हेतु संस्थान आने की अनुमति नहीं होगी।
4. सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाऐं उपयुक्त **पहचान–पत्र** के साथ अनुमत होंगी।
5. पशु चिकित्सालय एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सक, स्टाफ, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाऐं एवं बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन एवं मत्स्य विभाग से संबधित गतिविधियां जैसे एक्वाकल्चर, झींगा पालन इत्यादि से सम्बन्धित कार्मिक उपयुक्त **पहचान–पत्र** के साथ अनुमत होंगे।
6. कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था 2 गज की दूरी (सामाजिक दूरी) को ध्यान में रखते हुए की जायेगी। शेष कार्मिकों को कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्कता नहीं होगी, परन्तु मुख्यालय पर उपलब्ध रहेंगे एवं घर से काम (Work from home) करेंगे।
7. कार्यस्थल पर किसी भी कार्मिक के कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद किया जावेगा।

माल/परिवहन सेवाऐं व आवागमन के सम्बन्ध में :—

8. प्रदेश में दिनांक 10.06.2021 से रोडवेज बसों/निजी बसों का संचालन अनुमत होगा। शहर के अंदर चलने वाली सीटी बस/मिनी बस सेवा प्रतिबंधित रहेगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि यात्रा के दौरान कोई भी व्यक्ति खड़े होकर यात्रा नहीं करें।

   RSRTC के सम्बन्ध में CMD, RSRTC एवं निजी बसों हेतु आयुक्त यातायात द्वारा पृथक से दिशा–निर्देश जारी किये जायेंगे।

   प्रत्येक यात्रा के बाद सभी वाहनों को सैनेटाइज किया जायेगा।

9. निजी वाहनों से आवागमन सोमवार से शुक्रवार प्रातः 5:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक अनुमत होगा।
10. रेल्वे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने/जाने वाले व्यक्तियों को **यात्रा टिकट दिखाने पर** आवागमन की अनुमति होगी।

11. किसी भी व्यक्ति के द्वारा घर से रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट एवं रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट से घर, मेडिकल इमरजेन्सी एवं अनुमत श्रेणियों के आवागमन हेतु उपयोग में ली जाने वाली टैक्सी(Taxi)/ओला(OLA)/उबर (Uber)/ऑटो/ई-रिक्शा सेवा अनुमत होगी।

12. राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई **RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट** प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो गंतव्य पर पहुंचने पर 15 दिन के लिए संस्थागत क्वारंटीन किया जायेगा, जब तक की उस व्यक्ति की **टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। फार्म 4 में इन्द्राज करने के उपरान्त ही होम क्वारंटीन अनुमत होगा।**

सम्बन्धित सूचना (नाम, पता एवं मोबाइल नंबर) DoIT को भेजकर CQAS के माध्यम से उनकी निगरानी की जायेगी।

राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों द्वारा राजस्थान में प्रवेश से 28 दिन पूर्व वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हो, उन्हें राजस्थान में आने से पूर्व **RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट** एवं ऐसे व्यक्तियों को होम/संस्थागत क्वारंटीन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

13. इस सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी :-

i. राज्य में बाहर से आने वाले समस्त यात्रियों हेतु थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी एवं संबंधित प्राधिकारी द्वारा आगन्तुक यात्रियों की रेण्डम (random) जाँच की जायेगी।

ii. सभी जिला कलक्टर्स राज्य के बाहर से **सड़क मार्ग** से आने वाले लोगों की उपरोक्त बिन्दु संख्या 12 की अनुपालना हेतु पूर्व की भांति प्रवेश द्वार पर चेक-पोस्ट स्थापित कर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की पूर्ण पालना सुनिश्चित करायेंगे। **बॉर्डर चेक पोस्ट** पर पल्स ऑक्सीमीटर की उपलब्धता सुनिश्चित करवाया जावे।

iii. **महाप्रबंधक, उत्तर-पश्चिम रेलवे,** जयपुर, राजस्थान द्वारा राज्य के बाहर से रेलवे के माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों के सम्बन्ध में उपरोक्त बिन्दु संख्या 12 की अनुपालना सुनिश्चित करायी जायेगी।

iv. **एयरपोर्ट डायरेक्टर,** एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, सांगानेर, जयपुर द्वारा राज्य के बाहर से हवाई माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों के सम्बन्ध में उपरोक्त बिन्दु संख्या 12 की अनुपालना सुनिश्चित करायी जायेगी।

v. यात्री ट्रेन, घरेलू हवाई यात्रा आदि द्वारा आवागमन गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) द्वारा नियमित किया जाना निरन्तर जारी रहेगा।

vi. राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग एवं अन्य महत्वपूर्ण मार्गों पर फास्टैग/अन्य संकलित सूचना का उपयोग कर राज्य में प्रतिदिन प्रवेश करने वाले वाहनों का विवरण, **परिवहन आयुक्त राजस्थान, जयपुर** प्राप्त करेंगे ताकि, राज्य में

प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की उपरोक्त बिन्दु संख्या 12 की अनुपालना सुनिश्चित की जा सके एवं उनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की ट्रैकिंग किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

14. कोविड मरीज के साथ आये Attendant को हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा जारी किया गया पास ही Attendant द्वारा मरीज से सम्बन्धित आवश्यक सेवाओं जैसे खाना, दवाईयां इत्यादि लाने हेतु उपयोग में लिये जा रहे वाहन के लिए अनुमत होगा।

15. अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु **नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे।** राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकानें अनुमत होंगी।

16. गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु आवागमन की अनुमति होगी।

17. **टीकाकरण हेतु** स्वयं के पंचायत समिति/नगर इकाई परिक्षेत्र में स्थित टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी, किन्तु साथ में रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज एवं अपना पहचान–पत्र साथ में रखना अनिवार्य होगा।

18. निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को **प्रवेश–पत्र** दिखाने पर परीक्षा केन्द्र पर आवागमन की अनुमति होगी।

अन्य गतिविधियाँ :–

19. **अन्त्येष्टि/अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम** : अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्क्रीनिंग, हेंडवॉश और सेनेटाईजर के प्रावधानों के साथ। अनुमत व्यक्तियों की संख्या **20** से अधिक नहीं होगी।

20. मेडिकल व नर्सिंग महाविद्यालयों में अध्ययन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार जारी रहेगा।

21. ऑनलाईन/डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी एवं इसे प्रोत्साहित किया जायेगा।

22. समाचार पत्र वितरण हेतु सुबह प्रातः 04:00 बजे से अनुमति होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिन्ट मीडिया के कार्मिकों को **परिचय पत्र** के साथ आने–जाने की अनुमति होगी।

23. दूरसंचार, इंटरनेट सेवाऐं, डाक सेवाऐं, कुरियर सुविधा, प्रसारण एवं केबल सेवाऐं, आईटी एवं आईटी संबंधित सेवाऐं अनुमत होंगी।

24. **मेन्टीनेन्स सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मेकेनिक, आई. टी. सर्विस प्रोवाईडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी।**

25. ई–मित्र/आधार केन्द्र सेवाऐं सायं **4:00 बजे** तक अनुमत होगी।

26. एटीएम सेवाऐं 24 घण्टे अनुमत होंगी एवं बैंकिंग, बीमा, माइक्रो फाइनेन्स इंस्टीट्यूशन (MFI)/NBFC की सेवाऐं आमजन के लिए सायं **04:00 बजे तक** अनुमत होंगी। जहां

तक संभव हो उक्त संस्थाओं द्वारा भी **कम–से–कम** कार्मिकों को कार्यस्थल पर अनुमत किया जाये एवं **ई–बैंकिंग** कार्यप्रणाली को प्रोत्साहित किया जाए।

27. सेबी/स्टॉक से सम्बन्धित व्यक्तियों को उपयुक्त पहचान–पत्र के साथ अनुमति होगी।

28. ई–कॉमर्स के माध्यम से **सभी प्रकार की वस्तुओं** की होम डिलीवरी अनुमत होगी।

29. **इंदिरा रसोई** में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य **रात्रि 10:00 बजे** तक कोविड गाईडलाईन के अनुसार अनुमत होगा।

30. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों के संक्रमण से बचाव हेतु कोविड उपयुक्त व्यवहार एवं सोशियल डिस्टेंसिंग की पालना कराते हुए विस्तृत दिशा–निर्देश ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे।

31. कॉल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाऐं अनुमत होंगी।

32. निजी सुरक्षा सेवाओं की भी अनुमति होंगी।

33. **सार्वजनिक उद्यान प्रातः 5:00 बजे से प्रातः 08:00 बजे तक अनुमत होंगे।**

पेट्रोल/डीजल/एलपीजी के सम्बन्ध में :–

34. सार्वजनिक परिवहन/माल ढुलाई वाहन/अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल/डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा (रिटेल)/थोक (होलसेल) ऑउटलेट पूर्व की भांति खोलने की अनुमति होगी। निजी वाहनों के लिए पेट्रोल/डीजल प्रातः 5:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक भरवाया जा सकेगा।

35. **एलपीजी वितरण सेवाऐं** ग्राहकों के लिए अनुमत होंगी।

उद्योग एवं निर्माण गतिविधियां के सम्बन्ध में :–

36. **समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाईयों में कार्य करने की अनुमति होगी ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके।**

    पूर्व की भांति उद्योग/निर्माण इकाई द्वारा अपने सम्बन्धित कार्मिक/श्रमिक के आवागमन हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल https://covidinfo.rajasthan.gov.in --> e-Intimation by Industries के माध्यम से self generate कर आईडी/ Transit Pass (मूल/हार्ड कॉपी) उद्योग/निर्माण इकाई द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील कार्मिकों/श्रमिकों को उपलब्ध कराया जा सकता है।

राजस्व अर्जन सम्बन्धी गतिविधियां :–

37. सरकार द्वारा अनुमत राजस्व अर्जन गतिविधियां यथा खनन, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा आबकारी दुकानें आदि वित्त विभाग द्वारा जारी संशोधित आदेश के अनुसार अनुमत होंगी।

परिशिष्ट 'C'

: दुकानों/बाजारों के सम्बन्ध में :

क्रसं	दुकानें	वार	समय
1.	सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, आटा चक्की से सम्बन्धित खुदरा (रिटेल)/थोक (होल सेल) दुकानें।	सोमवार से शुक्रवार	प्रातः 06:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक
2.	पशुचारा से सम्बन्धित खुदरा (रिटेल)/थोक (होल सेल) दुकानें।	सोमवार से शुक्रवार	प्रातः 06:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक
3.	कृषि आदान विक्रेताओं, कृषि यंत्र की दुकानें/परिसर।	प्रतिदिन	प्रातः 06:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक
4.	डेयरी एवं दूध की दुकानें।	प्रतिदिन	प्रातः 6:00 से प्रातः 11:00 बजे तक एवं सांय 5:00 बजे से सांय 7:00 बजे तक
5.	मण्डियां, फल एवं सब्जियां, फूल–मालाएँ की दुकानें।	प्रतिदिन	प्रातः 06:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक
6.	स्ट्रीट वेण्डर, थड़ी, रेड़ी/ठेलों द्वारा अन्य सामानों/वस्तुओं का विक्रय	प्रतिदिन	प्रातः 06:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक
7.	सब्जियां एवं फलों को ठेले/साईकिल/रिक्शा/ऑटो–रिक्शा/मोबाईल वैन द्वारा विक्रय पर।	प्रतिदिन	प्रातः 06:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक
8.	ऑप्टिकल्स (Opticals) सम्बन्धी दुकानें।	प्रतिदिन	प्रातः 06:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक
9.	अन्य दुकानें एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान।	सोमवार से शुक्रवार	प्रातः 06:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक

a. राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी।

b. फार्मासुटिकल्स, दवाऐं एवं चिकित्सकीय उपकरणों से सम्बन्धित दुकानें खोलने की अनुमति होगी। दवाईयों की भी **होम डिलीवरी** को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे संक्रमण पर नियंत्रण रखा जा सके।

c. **प्रोसेस्ड फूड/मिठाई व मिष्ठान/बेकरी/रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 10:00 बजे तक अनुमत होगी।**

d. प्रोसेस्ड फूड/मिठाई व मिष्ठान/बेकरी/रेस्टोरेन्ट्स इत्यादि द्वारा **Take away सुविधा सोमवार से शुक्रवार प्रातः 06:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक अनुमत होगी। दुकान पर बैठाकर खाने की अनुमति नहीं होगी।** दुकानदार यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी व्यक्ति दुकान पर अनावश्यक रूप से भीड़–भाड़ नहीं करें। उल्लंघन करने पर दुकान को सील कर दिया जायेगा।

e. मण्डियों में फसलों की आवक तथा समर्थन मूल्य पर फसलों की कार्यवाही अनुमत होगी। ऐसे केन्द्रों पर कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित की जावेगी, किन्तु कृषकों का मण्डी पहुंचने एवं वापस जाने के अतिरिक्त मण्डी परिसर से बाहर

f. ऐसे बाजार जहां केवल बड़े–बड़े कॉम्पलेक्स है, जोकि **वातानुकुलित नहीं** है, उनमें स्थित दुकानें अथवा व्यवसायिक प्रतिष्ठान, भवन की मंजिलो के अनुसार खुलेंगे। जैसे प्रथम दिन बेसमेंट एवं प्रथम फ्लोर की दुकानें तथा उसके अगले दिन ग्राउण्ड फ्लोर एवं द्वितीय फ्लोर पर स्थित दुकानें, एक छोडकर एक (Alternate) खोली जा सकेगी।

g. **बाजारों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोले जाने के लिए** जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त अपने जिलों में व्यापारिक संगठनों एवं स्थानीय लोगों को सम्मिलित करते हुए **जन अनुशासन कमेटी** में विचार–विमर्श कर वैकल्पिक (Alternate) व्यवस्था/डी–कन्जक्शन प्लान तैयार करेंगे।

शहरी क्षेत्र

शहरी क्षेत्रों में स्थित बाजारों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में निम्नानुसार व्यवस्था सुनिश्चित किया जावे।

h. संयुक्त प्रवर्तन दल (JETs) में संबंधित क्षेत्राधिकार रखने वाले वाणिज्य कर विभाग, पुलिस एवं नगर निकाय के अधिकारियों को सम्मिलित किया जावे।संयुक्त प्रवर्तन दल द्वारा **जन अनुशासन कमेटी** में व्यापार संघो के साथ विचार–विमर्श कर बाजारों को खोलने के पश्चात् प्रतिदिन कोविड प्रोटोकॉल की पालना एवं भीड़–भाड़ पर निगरानी रखें।

i. यदि व्यापक स्तर पर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया तो, उक्त बाजार **सात दिवस** के लिए पूर्ण रूप से बंद किया जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्र

j. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित तहसील/उपखण्ड/पंचायत समिति मुख्यालय में स्थित बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों हेतु शहरी क्षेत्र में दी गई व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

k. शेष ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर गठित **कोर ग्रुप**, स्थानीय व्यापार संघ प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए **जन अनुशासन कमेटी** में बाजारों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोविड प्रोटोकॉल लागू करें। यदि किसी दुकानदार द्वारा उक्त प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जावे तो सख्त कार्यवाही की जावे।

बाजारों हेतु अपनाये जाने वाले सुरक्षा मानकः–

l. दुकानदार एवं दुकान के काम करने वाले सभी कार्मिक कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क पहनना, सेनेटाईजेशन, आपस में व ग्राहकों से दूरी बनाये रखना इत्यादि की पालना करेंगे।

m. **बाजारों में जन–अनुशासन** कायम रखने की जिम्मेदारी संबंधित **जन अनुशासन कमेटी** व्यापार मण्डल एवं दुकानदार की स्वयं की होगी। दुकानदार, दुकान के बाहर/अंदर गोले बनाकर ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग की पालना) बनाये रखने की व्यवस्था करेंगे।

n. **''नो मास्क नो सर्विस''** अर्थात् जिस ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा। दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। यदि कोई दुकानदार **"नो मास्क नो सर्विस"** प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो दुकान को सील कर दिया जाएगा।

o. **जहां तक संभव हो, जन अनुशासन का पालन करते हुए बाजारों में खरीददारी हेतु दुपहिया एवं चौपहिया वाहन का प्रयोग ना करें एवं अपने नजदीकी दुकान से ही पैदल/साइकिल का प्रयोग करते हुए खरीददारी करें, ताकि बाजारों में "No Vehicle Movement" को अपनाया जाकर भीड़–भाड़ पर नियंत्रण पाया जा सके। जिला मजिस्ट्रेट व्यापारिक संगठनों से वार्ता कर भीड़ नियंत्रण हेतु स्थानीय स्तर पर निर्णय ले सकेंगे।**

p. **जन अनुशासन कमेटी** व्यापार मण्डल, जिला प्रशासन/ग्राम स्तरीय कोर कमेटी/JETs Volunteers का एक (वॉट्सअप) ग्रुप बनाया जाये, जोकि उपरोक्तानुसार बाजारों/दुकानों को खोलने के क्रमवार तरीके एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार का किसी भी दुकानदार द्वारा उल्लंघन किया जाता है, तो उसकी सूचना जिला प्रशासन एवं व्यापार मण्डल को प्राप्त हो सके।

q. भीड़–भाड़ वाले बाजारों में अभय कमाण्ड सेंटर के माध्यम से भी निगरानी की जाएगी, ताकि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हो।

r. अगर कोई दुकानदार या खरीददार कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित पुलिस थाने अथवा हेल्पलाइन नंबर 181 पर दिया जावे।

कोविड उपयुक्त व्यवहार/अनुशासन (Covid Appropriate Behaviour)

संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए अपने सामाजिक व्यवहार में बदलाव लाना होगा। **सामाजिक दूरी** को अपनाकर संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कुछ समय तक हमें प्रियजनों, रिश्तेदारों एवं अन्य लोगों से मिलना–जुलना स्थगित करना होगा। भीड़ में जाने और भीड़ एकत्र करने से बचना होगा। अति आवश्यक होने पर अगर किसी को मिलने की आवश्यकता भी हो तो घर के बाहर खुले स्थान पर **सोशल डिस्टेंसिंग** के साथ मास्क पहनकर एक दूसरे से मिलना उचित होगा। प्रदेशभर में **सामाजिक दूरी** के इस व्यवहार को अपनाकर ही संक्रमण की चेन तोड़ने में कामयाब हो सकेंगे। इस हेतु समस्त प्रदेशवासियों द्वारा परिवार/वार्ड/ग्राम/शहर/प्रदेश स्तर पर **जन अनुशासन** अपनाये जाने की आवश्यकता है।

फेस मास्क (Face Mask):

a. **फेस मास्क पहनना** एक आवश्यक निवारक उपाय है। फेस मास्क पहनने में निम्न निर्देशों की पालना की जाए।

- अपना मास्क लगाने से पहले, साथ ही इसे उतारने से पहले और बाद में, और किसी भी समय इसे छूने के बाद अपने हाथों को साफ करें।
- सुनिश्चित करें कि यह आपकी नाक, मुंह और ठुड्डी को पूरी तरह कवर करें।
- जब आप किसी मास्क को उतारते हैं, तो कपड़े का मास्क है, तो उसे प्रतिदिन धो लें और मेडिकल मास्क को कूड़ेदान में फेंक दें।

सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। **"नो मास्क नो मूवमेन्ट"** की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराई जायेगी। **सार्वजनिक और कार्य स्थलों** पर चेहरे पर मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लगाने जैसी कार्यवाही की जावे।

सामाजिक दूरी

परिवार स्तर पर अनुशासन :–

b. **सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए जहां तक संभव हो प्रत्येक परिवार घर के अंदर ही रहे (Stay at Home) एवं अन्य बाहरी व्यक्तियों से मेलजोल कम रखे (Social Distancing)। जिससे की कोविड संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके।**

c. अनावश्यक रूप से बाहरी व्यक्तियों का घर में प्रवेश रोके, अतिआवश्यक होने पर घर से बाहर किसी भी खुले स्थान पर सामाजिक दूरी रखते हुए मिलें, ताकि परिवार के बुजुर्ग, बच्चें व अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित (comorbid) सदस्य सुरक्षित रहें।

d. भेद्य व्यक्तियों **(Vulnerable Persons)** जैसे (65 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति, गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाऐं तथा 10 वर्ष से कम आयु के बच्चें) को घर पर ही रहने एवं केवल आवश्यक व स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए ही और यदि अपरिहार्य परिस्थितियां ऐसी मांग करें तो ही बाहर जाने की सख्त हिदायत दी जाती है। घर से बाहर जाने पर यह अति–आवश्यक है कि वे समय–समय पर निर्दिष्ट सुरक्षा सावधानियों की सर्वाधिक पालना करें।

e. यथासंभव Work-from-Home को प्रोत्साहित करें।

गांव/मोहल्ले में जन अनुशासन :–

f. बाजारों में भीड़–भाड़ को नियंत्रित करने हेतु अपने आस–पास की दुकानों से ही खरीददारी करें, अनावश्यक रूप से वाहनों का उपयोग ना करें एवं होम डिलीवरी को प्रोत्साहित करें।

g. पूजा–अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि घर पर रहकर ही करें।

h. सभी प्रकार के समारोह आयोजन जैसे विवाह इत्यादि दिनांक 30.06.2021 तक स्थगित रखे जावे।

i. सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट यानी ("2 गज की दूरी") बनाये रखेगा। भीड़–भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों, साप्ताहिक बाज़ारों और सार्वजनिक परिवहन में **सामाजिक दूरी** बनाये रखना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। विमान, ट्रेन और मेट्रो रेल में यात्रा को विनियमित करने के लिए एसओपी पहले से ही लागू है, उसे भी सख्ती से लागू किया जावे। कार्य स्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों के बदलने में पर्याप्त अन्तराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अन्तराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जायेगा।

j. सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह, जो सार्वजनिक सम्पर्क में है, को छुने के उपरान्त साबुन और पानी से हाथ धोयें/सेनिटाईजर का उपयोग करें।

k. जिला मजिस्ट्रेट कोविड–19 उपयुक्त व्यवहार यथा फेस मास्क पहनने, हाथों की स्वच्छता और सामाजिक दूरी बनाये रखने को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे।

l. **सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर थूकना निषिद्ध है** और जुर्माने से दण्डनीय है।

m. सार्वजनिक स्थानों पर **शराब, पान, गुटका, तम्बाकू** आदि का सेवन **निषिद्ध** है और जुर्माने से दण्डनीय है।

कोविड के प्रबंधन हेतु सामान्य सुरक्षा निर्देश

n. घर से कार्य (WfH) : जहाँ तक सम्भव हो घर से काम करने की विधि की पालना की जाये।

o. अनुमत कार्यालयों में बाहर से आने वाले आगंतुक कम–से–कम होने चाहिए और कार्यालय के कर्मचारियों, जो एक ही परिसर में मौजूद है, के अलावा सभी के साथ बैठक ऑनलाइन आयोजित की जानी चाहिए।

p. जांच एवं स्वच्छता (Screening and Hygiene) : सभी प्रवेश और निकास बिन्दुओं और कॉमन स्थानों पर थर्मल स्केनिंग, हैण्डवॉश और सैनिटाईजर का प्रबन्ध किया जावे।

q. बार–बार सैनिटाईजेशन करना : सम्पूर्ण कार्य स्थलों, आम सुविधाओं और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजे के हैण्डल आदि का शिफ्टों के मध्य बार–बार सैनिटाईजेशन करना सुनिश्चित किया जायेगा।

प्रदेश स्तर पर जन अनुशासन :–

अपने सामाजिक व्यवहार में बदलाव लाए साथ ही अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। सभी प्रदेशवासी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने और अन्य कोविड प्रोटोकॉल की निरन्तर कड़ाई से पालना सुनिश्चित करेंगे तो अवश्य ही कोरोना की प्रसार की श्रृंखला को तोड़ने एवं लॉकडाउन के प्रतिबंधों को क्रमवार हटाने में सफल हो सकेंगे।

Joint Enforcement Team (JET) / Anti Covid Teams (ACTs)

1. जिला मजिस्ट्रेट **आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005** के प्रावधानों के अन्तर्गत अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में कार्यकारी मजिस्ट्रेट एवं अन्य अधिकारियों को **इंसीडेन्ट कमाण्डर्स** नियुक्त कर ऐसे इंसीडेण्ड कमाण्डर्स की सूची को DoIT द्वारा बनाए गये **वेब पोर्टल पर अपलोड** करें।
2. जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, नगर निकाय एवं वाणिज्य कर विभाग की **संयुक्त प्रवर्तन दल (Joint Enforcement Team, JET)** के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कोविड–19 उपयुक्त व्यवहार जैसे फेस मास्क, सामाजिक दूरी एवं मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) आदि की सख्त अनुपालना सुनिश्चित की जावे।
3. **संयुक्त प्रवर्तन दल (JET)** द्वारा ऐसी सभी संस्थाओं/संगठनों जिनको अनुमति प्रदान की गई है, उनके द्वारा कोविड–19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्त निगरानी एवं पर्यवेक्षण किया जायेगा और यदि उल्लंघन पाया जाता है, तो संस्था/संगठन को **सील** किया जायेगा।
4. लोगों को **एंटी कोविड–19** गतिविधियों अर्थात् **कोविड उपयुक्त व्यवहार** जैसे कि मास्क पहनना, हैण्ड सेनेटाईजर का उपयोग करना, कार्यालय स्थल की सफाई, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना, इकठ्ठा नहीं होना एवं सामाजिक दूरी रखना, लक्षणों को नहीं छिपाने, आवश्यकता होने पर डॉक्टर से मिलने और संभावितों की जांच के लिये चिकित्सा दल भेजना आदि के लिये पर्यवेक्षण करने की आवश्यकता है।
5. कोविड–19 के बारे में लोगों को जागरूक किया जाकर **आत्म–अनुशासन (self discipline)** के लिये प्रेरित किया जाना आवश्यक है।
6. ऐसा विभिन्न इलाकों में सभी विभागों के अधिकारियों की विशेष टीमों को **एंटी–कोविड टीमों** के रूप में तैनात करके किया जा सकता है। विभागों से अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम उनके पते एवं मोबाइल नम्बर आदि के साथ प्राप्त किये जा सकते हैं और साप्ताहिक आधार पर उनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है।
7. संयुक्त प्रवर्तन दलों के सहयोग हेतु ऐसे विशेष दल (Anti-Covid Team, ACT) बनाया जायेगा, यह दल Covid Appropriate Behaviour की पालना एवं टीकाकरण जन जागरण अभियान में सहयोग करायेगा।
8. एंटी–कोविड–टीम (Anti Covid Teams, ACTs), संयुक्त जांच दल (Joint Enforcement Team, JET) के निर्देशन में कार्य करेगी।

9. एक टीम में कम से कम दो अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ एक पुलिसकर्मी या होमगार्ड होना चाहिए और एक क्षेत्र उन्हें दिया जाना चाहिए ताकि वे लोगों के कोविड उपयुक्त व्यवहार पर निगरानी रख सके।

10. टीम के सदस्यों को विशेष **कैप तथा बैज** उपलब्ध कराया जावेगा।

11. Anti-Covid Team(ACT's) के द्वारा अध्यापक/बीएलओ/आंगनवाडी कार्यकर्ता/स्थानीय निकाय विभाग का सहयोग प्राप्त कर कोविड मैनेजमेन्ट एवं टीकाकरण में वृद्धि हेतु सार्वजनिक स्थलों पर भ्रमण कर आम जन को जागरूक एवं प्रेरित किया जायेगा।

Key Stakeholders within the village community that could be mobilized for COVID-19 management to help the village core committee (ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप)

(As per the SOP issued by the MoHFW, GoI dated 16th May 2021 on COVID-19 Containment & Management in Peri-urban, Rural & Tribal Areas)

वैक्सीनेशन और मास्क है जरूरी का प्रचार–प्रसार किया जाए

Door-to-Door Survey एवं Quarantine व्यवस्था

1- **Test - Track - Treat** की व्यवस्था के लिए **डोर–टू–डोर** सर्वे की जिला स्तर पर विस्तृत कार्य योजना बनाई जाकर, ILI मरीजों के चिन्हिकरण, मेडिकल टीम के द्वारा सर्वे के दौरान अन्य मौसमी बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया, मेडिकल किट वितरण, जांच, होम आईसोलेशन एवं उपचार की नियमित निगरानी की जावे।

2- **डोर–टू–डोर** सर्वे का कार्य इस प्रकार से किया जावे कि प्रत्येक घर का सर्वे 10 दिवस में कर लिया जावे और यह प्रक्रिया प्रत्येक 10 दिवस में दोहराई जावे।

3- डोर–टू–डोर सर्वे हेतु मेडिकल किट, ऑक्सीमीटर एवं अन्य सामग्री उपलब्ध करवाई जावे।

4- सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को शहरी क्षेत्र में डोर–टू–डोर सर्वे हेतु एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात किया जावे।

5- **आरटी–पीसीआर जांच** प्रोटोकॉल की अनुपालना करते हुए जिन जिलों में संक्रमण के प्रकरणों की संख्या अधिक है, उनमें जांचें पर्याप्त संख्या में सुनिश्चित कराई जावें।

6- सेम्पल कलेक्शन दलों की संख्या बढ़ाई जाकर सेम्पलिंग एवं टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जावे।

7- ब्लॉक स्तर पर मोबाईल मेडिकल यूनिट (MMU) रेपिड़ एन्टीजन टेस्ट, लाउडस्पीकर सहित तैनात की जावे, जो कि टेस्ट एवं उपचार करे।

8- संक्रमित मामलों को शीघ्रताशीघ्र आइसोलेट/क्वारंटीन किया जावे तथा उनके सम्पर्कों का **Contact tracing** के माध्यम से जल्दी से जल्दी पता लगा कर उनको भी **आइसोलेट/क्वारंटीन** किया जावे।

9- पॉजिटिव केसेज वाले क्षेत्रों में माइक्रो कन्टेन्मेन्ट जोन बनाया जाकर पुलिस एवं स्थानीय निकायों द्वारा निर्धारित कंटेनमेंट उपायों की सख्ती से पालना करवाई जाये।

10- **निगरानी :** चिकित्सा विभाग हर दिन सभी संक्रमित मामलों की सूची (पता एवं मोबाइल विवरण के साथ) **संबंधित थानाधिकारी** के साथ, बीट कांस्टेबल द्वारा निगरानी प्रयोजन हेतु साझा करेंगे। बीट कांस्टेबल अपने क्षेत्रों में पॉजिटिव मामलों पर नजर रखने और निगरानी के लिए कोविड–19 सांख्यिकी एप्लिकेशन के तहत CQAS का उपयोग करेंगे। वे हर 3 दिन में कम–से–कम एक बार पॉजिटिव व्यक्ति के घर जाकर यह सुनिश्चित करेंगे कि पॉजिटिव व्यक्ति होम आइसोलेशन में रहे साथ ही की गई कार्रवाई का विवरण दैनिक आधार पर CQAS प्रणाली में समय पर अद्यतन करेंगे।

11- जिला प्रशासन द्वारा कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति, की सूचना जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर के साथ सम्बन्धित व्यक्ति का BLO क्षेत्र (मतदाता भाग संख्या) भी अंकित की जावे। बिना किसी विलम्ब के फॉर्म संख्या 4 एवं 7 में भरकर DoIT पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के आधार पर राज्य में कोविड संक्रमित एवं क्वारंटीन व्यक्तियों के मूवमेंट की Covid Quarantine Alert System (CQAS) के माध्यम से निगरानी सुनिश्चित की जाए। इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा समस्त सूचना जिला प्रशासन एवं जिला स्तर पर सूचना एवं प्रोद्यौगिकी विभाग को उपलब्ध करवाई जाएगी।

12- जिन कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों को होम क्वारंटीन किया गया है, यदि उनके द्वारा होम क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो जिला प्रशासन उन्हें तत्काल संस्थागत क्वारंटीन करे।

रोकथाम क्षेत्र (Containment Zones)

1. Vulnerable and high incidence क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन्स का प्रभावी सीमांकन संक्रमण के प्रसार की श्रृंखला को तोड़ने और वायरस के फैलाव को नियंत्रित करने हेतु महत्वपूर्ण एवं प्रभावी है। **संबंधित जिला मजिस्ट्रेट** द्वारा गृह मंत्रालय/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की गाइडलाईन्स को ध्यान में रखते हुए कंटेनमेंट जोन्स का निर्धारण किया जाकर नोटिफाई किया जायेगा।
2. **कोई एरिया/अपार्टमेन्ट जहां संक्रमित व्यक्तियों का समूह चिन्हित किया गया है, उसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा माइको कंटेनमेंट जोन निर्धारित किया जायेगा।** जिले में कन्टेनमेन्ट जोन की सूचना जिला प्रशासन द्वारा फार्म–9 में की जाएगी। प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि फार्म–9 का निरन्तर अद्यतन जारी रखा जाए।
3. कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित **कड़े प्रतिबंध उपायों** की सख्ती से अनुपालना करवाई जायेगी।
   A. कंटेनमेंट जोन्स में केवल आवश्यक गतिविधियां ही अनुमत की जावेगी।
   B. इन जोन्स के अन्दर और बाहर व्यक्तियों का **आवागमन** चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बनाये रखने के अलावा नहीं हो, इसलिए **सख्त परिधि नियंत्रण** लागू होगा।
   C. निगरानी हेतु गठित दलों द्वारा **सघन घर–घर निगरानी** सुनिश्चित की जायेगी।
   D. निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार **जांचें (Testing)** की जायेंगी।
   E. ऐसे व्यक्ति जो कोविड पॉजिटिव पाये गये है, उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की सूची बनाई जाकर उनकी ट्रैकिंग, पहचान एवं उन्हें 14 दिनों के लिये क्वारंटीन किया जायेगा। (80 प्रतिशत सम्पर्कों की 72 घंटे में पहचान आवश्यक है।)
   F. ILI(Influenza like illness)/SARI(Severe Acute Respiratory infection)/Body ache/Diarrhoea मामलों की निगरानी डोर–टू–डोर सर्वे के माध्यम से कराई जायेगी तथा इस सूचना को भी DoIT के पोर्टल पर अपलोड किया जावेगा।
   G. निर्धारित कंटेनमेंट उपायों की सख्ती से पालना करवाये जाने की जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त की होगी।
4. संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त द्वारा दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत निरोधात्मक आदेश जारी किये जायेंगे।
5. जिला प्रशासन द्वारा घोषित कन्टेनमेन्ट जोन्स में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की सूचना संकलित कर उनका एक ग्रुप बनाया जाएगा एवं उस ग्रुप में कुछ Volunteers को भी जोड़ा जाएगा ताकि कोरोना पॉजिटिव मरीजों को किसी भी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं, जैसे खाना, दवाई व अन्य सामान की आवश्यकता होने पर ग्रुप के माध्यम से जानकारी मिलने पर, Volunteer द्वारा उनके घर पर ही सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। ऐसे Volunteers की सूची को DoIT द्वारा संधारित पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

6. इसी प्रकार BLO द्वारा अपने क्षेत्र में आने वाले सभी नागरिक जो कोरोना पॉजिटिव है, का एक ग्रुप बनाकर, ग्रुप के माध्यम से उनकी निगरानी रखेगा एवं किसी भी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं जैसे खाना, दवाई व अन्य की ग्रुप के माध्यम से जानकारी मिलने पर उक्त सामग्री पहुंचाने में मदद करेगा जिससे हर कोविड संक्रमित की जानकारी एवं उसे अच्छी सुविधा मिल सकें।

ग्रामीण स्तर पर समस्त BLO ग्राम स्तर पर बनाई गई **ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप** के निर्देशन में काम करेंगे और अपनी रिपोर्ट ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप को उपलब्ध करायेंगे। इसी प्रकार **शहरी क्षेत्र** में आने वाले समस्त BLO **संयुक्त प्रवर्तन दल** के निर्देशन में काम करेंगे और अपनी रिपोर्ट संयुक्त प्रवर्तन दल को उपलब्ध करायेंगे।

परिशिष्ट 'H'

राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 धारा 4 के अंतर्गत घोषित अपराध एवं धारा 11 के अंतर्गत शास्ति एवं शमन करने की शक्तियां निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	अपराध	शास्ति (रू0)	शमन करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी
1.	कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर(जिससे नाक और मुंह समुचित रूप से ढका हो) नहीं पहने हुए हो।	1000/–	1. समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट 2. सहायक उप निरीक्षक एवं उससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी 3. राजस्व निरीक्षक से अनिम्न रैंक के नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के अधिकारी 4. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी
2.	कोई दुकानदार द्वारा, ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहना हुआ हो, किसी वस्तु का विक्रय करने एवं दुकान पर गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी की पालना नहीं किये जाने पर।	500/–	
3.	कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी (अन्य व्यक्ति से न्यूनतम 6 फीट) बनाकर नहीं रखता है।	100/–	
4.	किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर।	200/–	1. समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट 2. सहायक उप निरीक्षक एवं उससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी 3. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी
5.	कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शराब, पान, गुटखा, तम्बाकू का उपभोग करते हुए पाये जाने पर।	500/–	
6.	उपखण्ड मजिस्ट्रेट को लिखित में विवाह तिथि, विवाह स्थल, समय अवधि एवं प्रतिभागियों की पूर्व सूचना दिये बिना विवाह का आयोजन करना या सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखना।	1,00,000 (रू0 एक लाख)	1. समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट 2. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी
7.	आयोजकों द्वारा विवाह से सम्बन्धित समारोह आयोजन।	1,00,000 (रू0 एक लाख)	

8.	मैरिज गार्डन/विवाह स्थल के स्वामी, प्रबंधक एवं अधिभोगी (Occupier) द्वारा विवाह समारोह	1,00,000 (रू0 एक लाख)	1. समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट 2. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी
9.	कोई व्यक्ति लोक परिवहन सेवा यथा ऑटो, कैब, रिक्शा, बस, ट्रेन आदि में फेस मास्क या फेस कवर (जिसमें नाक और मुंह समुचित रूप से ढका हो) नहीं पहने हुए हो।	1000/—	1. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और जिला परिवहन अधिकारी
10.	सभी कार्यस्थल पर कार्यावधि के दौरान नियमित रूप से सेनेटाईजेशन तथा सामाजिक दूरी की पालना नहीं कराई जाने पर।	10,000/—	1. जिला उद्योग केन्द्र के सभी महाप्रबंधक 2. रीको ईकाई के प्रमुख
11.	सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक अथवा अन्य किसी प्रकार का सार्वजनिक कार्यक्रम इत्यादि आयोजित करना। (विवाह अथवा अन्त्येष्टि/संस्कार के अलावा)	10,000/—	1. समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट 2. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी